

	<p><b>85.</b> यदि किसी भी समय उपायुक्त को यह प्रतीत होता है कि ग्राम परिषद ने इस विनियम द्वारा सौंपे गए किसी कर्तव्य के निष्पादन में जानबूझ कर छूक किया है, तो उसे लिखित आदेश द्वारा इस कर्तव्य के निष्पादन के लिए एक अवधि निर्धारित करेगा और यदि निर्धारित अवधि के भीतर कर्तव्य का निष्पादन नहीं किया गया तो उपायुक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त करेगा और निर्देश देगा कि इस कर्तव्य के निष्पादन के लिए खर्च की अदायगी छूक करने वाले द्वीप परिषद द्वारा नियत अवधि के भीतर जो उपायुक्त ठीक समझे, करना होगा ।</p>	द्वीप परिषद द्वारा कर्तव्य के निष्पादन में छूक
	<p><b>86.</b> (1) यदि उपायुक्त के विचार में द्वीप परिषद के किसी आदेश अथवा संकल्प के निष्पादन अथवा कोई भी कार्य, जो द्वीप परिषद द्वारा अथवा की ओर से किया जाना है अथवा किया जा रहा है, लोगों को चोट पहुँचा रहा है अथवा चोट पहुँच सकती है अथवा जिससे शान्ति भंग हो सकती है अथवा गैर कानूनी हैं, वे लिखित आदेश द्वारा उन कार्यों के निष्पादन को रखगित अथवा प्रतिबंधित कर सकते हैं;</p> <p>(2) जब आयुक्त उप-धारा (1) के तहत कोई आदेश देता है तो वह उस आदेश को देने के कारणों के विवरण के साथ आदेश की एक प्रति प्रभावित द्वीप परिषद को भी भेजेगा ।</p> <p>(3) उपायुक्त उन परिस्थितियों का रिपोर्ट संघ राज्य क्षेत्र के जनजातीय कल्याण को प्रस्तुत करेगा जिसके तहत इस धारा के अधीन आदेश दिया गया था और संघ राज्य क्षेत्र के सचिव, जनजातीय कल्याण, द्वीप परिषद को नोटिस देने और पूछताछ के बाद आदेश को निरस्त, संशोधित अथवा इसकी पुष्टि कर सकता है ।</p>	द्वीप परिषद के आदेश अथवा संकल्प के निष्पादन का रखगन
	<p><b>87.</b> (1) द्वीप परिषद के किसी भी धन अथवा सम्पत्ति के खो जाने, नष्ट हो जाने अथवा गलत उपयोग करने पर द्वीप परिषद का हर सदस्य जिम्मेदार होगा, जिसके लिए वह पार्टी अथवा जिसके लिए वह कारण बना है अथवा उसके द्वारा सुविधा प्राप्त किया है अथवा सदस्य के रूप में कर्तव्य को धोखाधड़ी के उद्देश्य से जानबूझ कर अनदेखा किया गया ।</p> <p>(2) यदि संबंधित सदस्य को इस संबंध में कारण बताने के लिए उचित अवसर देने के बाद उपायुक्त संतुष्ट होते हैं कि द्वीप परिषद का कोई रकम अथवा अन्य सम्पत्ति को खोने, नष्ट होने अथवा गलत उपयोग का सीधा संबंध उसके दुर्योगहार अथवा उसकी ओर से जानबूझ कर अनदेखा हुई हो तो वह ऐसे सदस्य को लिखित आदेश द्वारा द्वीप परिषद को निर्धारित तिथि से पहले खोए हुए नष्ट हुए अथवा गलत उपयोग किए गए कार्यों की भरपाई के लिए आवश्यक राशि के भुगतान का निर्देश देगा ।</p> <p>बशर्ते कि ऐसा आदेश सदस्य के आक्रिमक अथवा तकनीकी अनियमितताओं अथवा गलतियों के लिए नहीं होगा ।</p>	धन के खोने, नष्ट करने अथवा गलत उपयोग पर सदस्यों का उत्तरदायित्व